

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला-झुन्झुनूं (राज0)
मिसल संख्या:- 2025/03 कैम्प स्थल

-:आदेश:-

दिनांक:- 25.07.2025


संलग्न दस्तावेजों के आधार पर

(1706 दिनांक 10-07-25)

प्रार्थी के "खाता-दूरुस्ती" प्रार्थना पत्र व तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में वर्तमान दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर तहसील (भू0अ0) खेतड़ी को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र0स0	ग्राम	जमाबन्दी संवत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टी (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टी जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5	6
1.	बेसरडा	2076-79	185	शेताश पुत्र मनभर	शेदितश्व पुत्र मनभर शेष खाता प्रविष्टि यथावत।
	/	/	/	/	/

नोट:- शेष प्रविष्टियाँ यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि पर रहन या स्थगन हो तो रहन मुक्त होने/स्थगन आदेश हटने के उपरान्त ही निर्णय की पालना की जावे।


25.07.2025
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी को वास्ते पालनार्थ।

2. प्रार्थी/प्रार्थिया श्री शेदितश्व पुत्र मनभर
निवासी बेसरडा

जाति मेघवाल
को सूचनार्थ।



उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी